लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1421
09 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जूट पैकिंग सामग्री

1421. श्री पार्थ भौमिक:
श्रीमती साजदा अहमद:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 को पूरी तरह से लागू कर दिया है जिसमें खाद्यान्नों के लिए 100 प्रतिशत और चीनी के लिए 20 प्रतिशत पटसन की बोरियों का उपयोग अनिवार्य किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने खाद्यान्न और चीनी उद्योगों द्वारा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई लेखापरीक्षा या समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार जेपीएम अधिनियम के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने और पटसन क्षेत्र में रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खरीद एजेंसियों और राज्य सरकारों से एक केन्द्रीय निगरानी और जवाबदेही तंत्र स्थापित करने का विचार रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क): सरकार ने यह विनिर्दिष्ट करने के लिए कि कौन सी वस्तुओं को जूट पैकेजिंग सामग्री में पैक करना अनिवार्य है तथा किस सीमा तक किया जाएगा, इस संबंध में पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकेजिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 लागू किया है। सरकार ने वर्ष 2024-25 सीज़न के लिए 100% खाद्यान्न और 20% चीनी को जूट बैगों में अनिवार्य रूप से पैक करने का निर्णय लिया है।

(ख) और (ग): सरकार पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकेजिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 के तहत अनिवार्य पैकेजिंग के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, समय-समय पर उचित कार्रवाई करती है, जिसमें निरीक्षण, तलाशी, ज़ब्ती आदि शामिल हैं। सरकार ने दिनांक 16 जून, 2015 को, पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकेजिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 6, 7 और 8 के तहत जानकारी और सैंपल मांगने का प्राधिकार, प्रवेश करने और निरीक्षण करने और तलाशी और ज़ब्ती करने का प्राधिकार केंद्र और राज्यों के विभिन्न अधिकारियों को सौंपने का आदेश जारी किया है।

****